राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ...22, 23, 24, 25, 26 एवं 27/2016.....जिला.....जयपुर.....

उनवान – मैसर्स सनराईज हर्बोटेक्स प्रा0लि0, जयपुर बनाम् वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन, जोन–तृतीय, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/01/2016	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री मोहनलाल नेहरा, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री अरविन्द खण्डेलवाल एवं विभाग की ओर से श्री रामकरण सिंह, उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।	

यें छः अपीलें अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.10.2015 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 25, 26, 61 एवं 55 के तहत् कायम की गयी मांग राशियों के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलों में अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार विवादित मांग राशियों में से शेष बकाया राशि रूपयों की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया, जिसके विरूद्ध यह छः अपीलें धारा 38(4) सहपठित धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

अ.सं.	कुल मांग राशि	अपीलीय अधि. द्वारा स्थगित राशि	स्थगन हेतु आवेदित राशि
1	2	3	4
22/16	13,87,445	7,49,970	5,73,727
23/16	15,47,348	8,64,440	6,15,617
24/16	40,44,484	23,37,852	15,35,969
25/16	67,58,847	29,99,124	34,88,560
26/16	24,40,940	15,16,112	8,32,345
27/16	11,66,942	7,48,040	3,77,012

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार करने के संबंध में कोई उचित कारण अंकित नहीं किया है। उन्होंने तर्क किया कि उनके द्वारा विक्रीत वस्तुऐं अधिनियम की अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 107 के अन्तर्गत आती है तदनुरूप उनके द्वारा देयकर जमा करवाया है। अतः अन्तर कर की राशि आरोपण अनुचित है। अतः मांग राशियों के संबंध में उपर्युक्त वर्णित आधार पर, प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित बकाया मांग राशियों की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी। अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपीलों के निर्णयों तक स्थगित करने का निवेदन किया।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेशों का समर्थन करते हुए, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

लगातार.....2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या ...22, 23, 24, 25, 26 एवं 27/2016.....जिला.....जयपुर.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	— 2 —	
18/01/2016	उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों एवं उद्धरित अधिनियम की अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 107 का अध्ययन किया गया। अपीलार्थी द्वारा मुख्यतः आलौच्य अवधि में औषधीय पादपों के अर्क (Juice) की बिक्री की है जो Packed Fruit Juice में अथवा उक्त प्रविष्टि में प्रथम दृष्टया शुमार होना प्रतीत नहीं होती है। अपीलीय अधिकारी ने आंशिक राशि का स्थगन दिया है वह प्रकरण की स्थिति के आलोक में उचित प्रतीत होता है एवं अब ओर स्थगन का कोई औचित्य नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार धारा 38(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती हैं। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत अपीलों की सुनवाई तीन माह मे कर निष्पादन करें। निर्णय की मूल प्रति पृथक से प्रत्येक पत्रावली पर रखी जावे। आदेश प्रसारित किया गया। (मोहनलाल नेहरा) सदस्य (मदन लाल) सदस्य	